स्कीम की प्रति

राज्य अनुसूचित जाति विकास निगमों (एस.सी.डी.सीज) को सहायता की *केंद्रीय प्रायोजित* योजना

प्रस्तावना

वर्ष 1978-79 से पर्याप्त अनुसूचित जातियों की जनसंख्या वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में अनुसूचित जाति विकास निगमों को सहायता की योजना शुरू की गई थी। इस समय 23 राज्यों तथा 4 संघ राज्य क्षेत्रों में राज्य अनुसूचित जाति विकास निगम कार्य कर रहे हैं। वे गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले अनुसूचित जातियों के आर्थिक विकास के लिए वित्तपोषण जुटाने में एक महत्वपूर्ण उपयोगी भूमिका निभा रहे हैं। वे लक्षित समूहों को सीमान्त राशि ऋण तथा आर्थिक सहायता के सस्ते गौण निवेश प्रदान करते हुए वित्तीय संस्थाओं से ऋण के सृजन में प्रोत्साहन तथा उप्रेरक की भूमिका निभा रहे हैं। राज्य अनुसूचित जाति विकास निगमों ने पात्र अनुसूचित जाति परिवारों की पहचान के लिए अपने प्रयासों तथा उपयुक्त आर्थिक विकास योजनाओं को शुरू करने के लिए उन्हें प्रेरित करने, ऋण समर्थन के लिए वित्तीय संस्थाओं को इन योजनाओं को प्रायोजित करने, कम ब्याज दर पर सीमान्त ऋण राशि के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करने तथा उनके पुनर्भुगतान देयता को कम करने के उद्देश्य से आर्थिक सहायता और अन्य गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के साथ इसे मिलाने/जोड़ने में अपने प्रयासों पर ध्यान केन्द्रित किया है ।

योजना की पद्धति

योजना की वर्तमान पद्धति इस प्रकार है-

- भारत सरकार तथा राज्य सरकारें 49:51 के अनुपात में राज्य अनुसूचित जाति विकास निगमों की शेयर पूंजी में भागीदारी लेते रहे हैं ।
- परियोजनाओं/योजनाओं के लागत मानदंड राज्य सरकारों तथा राज्य अनुसूचित जाति विकास निगमों पर छोड़ दिए गए हैं ।
- इक्विटी पूंजी का केन्द्रीय हिस्सा राज्य अनुसूचित जाति विकास निगम को सीधे भेजा जाता है । जब कभी आवश्यक हो, मंत्रालय राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से निधियां प्रवाहित कर सकता है ।
- योजनाओं के लिए आर्थिक सहायता का मानदंड तथा सीमा वही है जो आई.आर.डी.पी. के लिए है और
- राज्य अनुसूचित जाति विकास निगमों के प्रबंधन बोर्ड में दो नामिती हैं - एक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम से तथा दूसरा भारत सरकार से । जहां तक संभव हो नामिती को व्यावसायिक होना चाहिए और यह आवश्यक नहीं है कि वह या तो केन्द्र सरकार या एन.एस.एफ.डी.सी. का अधिकारी हो ।

उद्देश्य

उद्देश्य इस प्रकार हैं -

1. पात्र अनुसूचित जाति परिवारों की पहचान करना तथा आर्थिक विकास योजनाओं के लिए उन्हें प्रेरित करना।
2. उन योजनाओं को ऋण सहायता के लिए वित्तीय संस्थाओं को प्रायोजित करना ।
3. उनके वापसी देयता में कमी लाने के उद्देश्य से कम ब्याज दर पर सीमान्त राशि (मार्जिन मनी) और सब्सिडी के रुप में वित्तीय सहायता प्रदान करना ।
4. अन्य गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के साथ आवश्यक मिलान/गठजोड़ प्रदान करना ।

योजनाओं के प्रकार:

अनुसूचित जाति विकास निगम मुख्यतः निम्नलिखित क्षेत्रों में रोजगारोन्मुखी योजनाएं हाथ में लेते हैं:

1. लघु सिंचाई सहित कृषि और संबद्ध क्षेत्र ।
2. लघु उद्योग।
3. परिवहन।
4. व्यापार और सेवा क्षेत्र।

पात्रता मानदंड

इस योजना के अंतर्गत राज्य अनुसूचित जाति विकास निगम से सहायता के लिए गरीबी रेखा से नीचे रह रहे अनुसूचित जाति से संबंधित व्यक्ति पात्र हैं।

अनुसूचित जाति विकास निगमों को निधियां जारी किए जाने का पैटर्न

अनुसूचित जाति विकास निगमों को निधियां जारी करने के विद्यमान पैटर्न की केन्द्र सरकार द्वारा समीक्षा की गई है और अब यह निर्णय लिया गया है कि 49:51 के अनुपात में स्वतः जारी करने की बजाए केन्द्रीय शेयर इक्विटी निम्नांकित शर्तों पर जारी की जाएगी

क) अनुसूचित जाति विकास निगमों द्वारा लाभार्थियों को निम्नलिखित छूट के साथ संवितरित ऋण की 60% वसूली ।

ग्यारह अधिक एससी जनसंख्या राज्यों नामतः आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के लिए 60% की निर्धारित न्यूनतम वसूली में निम्नवत छूट दी गई है:-

- Xवीं योजना के दौरान 50% से कम की औसत वसूली दर वाले एससीडीसी को शेयर पूंजी सहायता प्रदान की जाएगी बशर्ते कि उनकी ग्यारहवीं योजना के पूरे हुए वर्षों के दौरान औसत वसूली 50% तथा इससे ऊपर हो ।
- Xवीं योजना के दौरान 50-60% के बीच से कम की औसत वसूली दर वाले एससीडीसी को शेयर पूंजी सहायता प्रदान की जाएगी बशर्ते कि उनकी ग्यारहवीं योजना के पूरे हुए वर्षों के दौरान वसूली दर Xवीं योजना अवधि के दौरान उनकी औसत वसूली दर से कम न हो ।

ख) केन्द्र सरकार द्वारा अनुसूचित जाति विकास निगमों को जारी शेयर इक्विटी पूंजी का 75% उपयोग ।

ग) अनुसूचित जाति विकास निगमों को राज्य अंश की पूर्व निर्मुक्ति ।

घ) बैंकों सहित वित्तीय संस्थानों से अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए अनुसूचित जाति विकास निगम की सक्षमता।

वसूलियों में सुधार हेतु एससीडीसी को प्रोत्साहन

एससीडीसी को प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु निधि एससीडीसी द्वारा बुनियादी वसूलियों में सुधार के लिए शीर्षस्थ निगमों में सृजित की जाएगी । संबंधित शीर्षस्थ निगम प्रोत्साहन निधि के प्रचालन के संबंध में पृथक रूप से दिशा-निर्देश जारी करेंगे ।